क्रमांक 441 / बो.प्र. / प्रशा.स्वी. / प्र.अ. / ज.सं. / 2018 /
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग
छत्तीसगढ़, रायपुर

रायपुर, दिनांक / 10 / 2018

प्रति,

मुख्य अभियंता
महानदी परियोजना
जल संसाधन विभाग
रायपुर

विषय :— **कांकेर जिले के मयाना मध्यम जलाशय नहर लाईनिंग एवं मरम्मत कार्य का सर्वेक्षण कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति।**

संदर्भ :— आपका पत्र क्रमांक 27358 / डी / जे.डी.पी. / एम.आर.पी. / 2018 / 12146 / रायपुर दिनांक 01.10.2018

***

वित्त निर्देश 34 / 2007 के अनुसार वित्तीय अधिकार पुस्तिका भाग–2 में कार्य विभागों को प्रत्यायोजित अधिकारों के अनुक्रमांक 79 (i) का उपयोग करते हुये यह कार्यालय मुख्य अभियंता, महानदी परियोजना, रायपुर के अन्तर्गत कांकेर जिले के मयाना मध्यम जलाशय नहर लाईनिंग एवं मरम्मत कार्य का सर्वेक्षण कार्य हेतु ₹ 14.72 लाख (चौदह लाख बहत्तर हजार मात्र) से आनाधिक की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है।

1. कार्य विभाग नियमावली कंडिका 2.006 के नीचे दिये गये नोट 3 (बी) एवं 3 (सी) के अनुसार योजना की तकनीकी स्वीकृति दी जाकर एवं अन्य अभीष्ट औपचारिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात कार्य प्रारंभ किया जावे तथा कार्य पूर्ण होने के उपरांत कार्य का पूर्णता प्रमाण–पत्र इस कार्यालय को दिया जावे।
2. छत्तीसगढ़ वित्तीय सहिता भाग एक के नियम 10 के अनुसार मुख्य अभियंता का यह दायित्व है कि वे कार्य पर नियंत्रण रखें तथा उनके कार्यालय तथा अधीनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा प्रशासकीय वित्तीय नियमों का पालन हो।
3. कार्य की स्वीकृति मांग संख्या 41 / 4701 मध्यम सिंचाई योजना सर्वेक्षण कार्य के अन्तर्गत दी जाती है।
4. यह स्वीकृति वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश क्र. 258 / 799 / वित्त / नियम / चार / 2005 दिनांक 27.08.2007 में निहित वित्तीय अधिकार प्रत्यायोजन के अन्तर्गत दिया गया है।
5. कार्य स्वीकृत राशि के अन्तर्गत ही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित हो।
6. प्राक्कलन कार्यालयीन पंजीयन क्र. 30 / प्रशा.स्वी. / प्र.अ. / ज.सं.वि. / 2018–19 दिनांक 11.10.2018 में पंजीबद्ध किया गया है।

प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग
छत्तीसगढ़, रायपुर

सहपत्र :— एक प्राक्कलन

D:\11.03.2014\Forwording Letter 2017\Prasaskiya Swikriti Letter 2017.docx

पृ.क्र. 441 / बो.प्र. / प्रशा.स्वी. / प्र.अ. / ज.सं. / 2018 //7080 रायपुर, दिनांक 12 / 10 / 2018

प्रतिलिपि :—

1. प्रमुख सचिव (वित्त) छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय नया रायपुर।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
3. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी जीरो पाइंट, बलौदाबाजार रोड विधान सभा के सामने रायपुर।
4. महालेखाकार (लेखा परीक्षक) जीरो पाइंट, बलौदाबाजार रोड विधान सभा के सामने रायपुर।
5. अधीक्षण अभियंता (बजट) बजट कक्ष 421 कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, रायपुर।
6. अधीक्षण अभियंता, इन्द्रावती परियोजना मण्डल, जगदलपुर
7. अधीक्षण अभियंता, एम.आई.एस. यूनिट स्टेट डाटा सेंटर, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग परिसर रायपुर।
8. कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग कांकेर

11.10.18

प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग
छत्तीसगढ़, रायपुर

सहपत्र :— Photo copy of Approved
Estimate for S.No. 8 only.